Although no such threats have been received by the Government, adequate steps are taken by the Government to ensure the security of the airports.

Sale of banned drugs in India

649. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the drugs banned in the advanced countries are available in India;

(b) if so what are the names of these drugs;

(c) whether any of the drugs banned by WHO are also available in our country; and

(d) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHD. KHAN) : (a) to (d) Out of the 44 drugs reported by the WHO to be withdrawn in some countries, Government have taken action to withdraw 11 drugs from the Indian market. 26 drugs were not at all approved for being marketed in India and the remaining 7 drugs, namely, (i) Nitrofuran Compounds, (ii) Phenformin, (iii) Hudroxyquinoline derivative, (iv) higher dose Lynestrenol products, (v) Piperazine, (vi) Phenylbutazone|Oxyphenbutazone and (vii) Analgin were allowed for continued marketing in the country in consultation with the experts|expert bodies like Indian Council of Medical Research (ICMR) subject to a cautionary statement and contra-indication being given on the label| package insert in some cases. While these 7 drugs are reported to be withdrawn in some countries they continue to be marketed in a number of countries including the developed ones.

The decision to withdraw a drug from the market is taken in consultation with the experts|expert bodies. The experts consider the benefit-risen ratio of the drug in the Indian population, the availability of safer substitutes, the prevalence of disease pattern, reported incidence of any adverse reaction to the drugs in Indian population etc. before they opine on witndrawal of a drug. The WHO per se does not ban drug. It only transmits information of withdrawal of drugs to its member countries.

CMD of M/s. Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd.

650. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state the reasons for allowing the present Chairman-cum-Managaing Director of Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd. to continue in the said capacity for over 13 years, particularly in view of several allegations made from time to time against him and the management of the value of over 100 crores of rupees ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): The present Chairman-cum-Managing Director of HPF was appointed as CMD in 1985 on merits. The allegations received against him were not found to be based on facts.

भारत कोकिंग कोल लि० के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा कोयले की बिक्री में अनियमितताएं

651. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लि० (भा०को० लि०) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ई०एफ० श्रेणी खुली बिक्री का अधिकांश कोयला श्री रमेश गांधी को बेच देते हैं और उनके जरिये वह यह कोयला जिसकी दर 209 रुपये प्रति टन है, 600 रुपये प्रति टन की दर से बेच देते हैं और इस तरह करोड़ों रुपया अपनी जेब में भर लेते हैं जिससे सरकारी राजकोष को प्रति वर्ष कोई 20 करोड़ रुपये का घाटा होता है ;

(ख) क्या सरकार ने श्री गांधी की दो वर्ष पूर्व की और मौजूदा आर्थिक स्थिति की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कोयले के इस माफिया तथा (बी.सी.एल.) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं। चूंकि कोयले की संपूर्ण बिक्री का उपयुक्त रूप में लेखा-जोखा रखा जाता है, अतः उच्च ग्रेड के कोयले को ई. एंड एफ. ग्रेड के कोयले के नाम से दिये जाने की संभावना बहुत कम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा भ्रष्ट तरीकों का अपनाया जाना

652. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लि. के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अपनी ही जाति से संबद्ध माफिया को सोप-स्टोन (सेलखड़ी) की अवैध बिक्री में शामिल हैं और उन्हें भी उसके लिये प्रतिमाह प्रति टन 5 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय श्री सहाय के पास कितने करोड़ रुपये की संपत्ति है और दस वर्ष पूर्व उनके पास कितने रुपये मूल्य की संपत्ति थी ; और

(ग) क्या सरकार उनकी संपत्ति की जांच कराने तथा उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस संबंध में श्री सहाय के नाम से संदर्भगत व्यक्ति श्री ए.के. सहाय लगते हैं, जोकि अभी तक हाल में भारत कोकिंग कोल लि. के मूनीडीह क्षेत्र में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। श्री ए.के.सहाय द्वारा वर्ष 1980 में भरे गये परिसम्पत्ति विवरण पत्र से पता चलता है कि उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। वर्ष 1989 के परिसंपत्ति विवरण-पत्र में उन्होंने कुछ भूमि संबंधी परिसम्पत्ति दिखाई है जिनमें एक घर शामिल है जोकि उन्होंने विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त किया है अर्थात् बिहार राज्य आवास बोर्ड, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा धनबाद में स्थित दो सहकारी निकाय। इन परिसंपत्तियों की खरीद कीमत 2,62,000/- रु. बताई गई है।

कोल इंडिया लि. को सामग्री की आपूर्ति के लिये सहायक कारखानों की स्थापना

653. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कान्द्रा, जिला धनबाद स्थित कोल इंडिया की खदानों तथा परिवहन और अन्य व्यापारिक क्रियाकलापों में प्रयोग हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए सहायक कारखानों की स्थापना की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लघु स्तर के उद्योग चलाने वाले कान्द्रा के लोग भूखों मर रहे हैं और ये सहायक एकक बंद किए जा रहे हैं ; और

(ग) भारत कोकिंग कोल लि. अपनी कुल खरीद में से कितनी प्रतिशत खरीद कान्द्रा से, कितनी प्रतिशत बिहार के अन्य कारखानों से तथा कितनी प्रतिशत की खरीद बिहार के बाहर स्थित कारखानों से करती है और इसके द्वारा की गई कुल खरीद और बिहार के कारखानों